International Journal of Political Science and Governance 2019; 1(1): 18-20

E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2019; 1(1): 18-20
Received: 24-02-2019
Accepted: 28-03-2019

डॉ0 अरुण कुमार वर्मा
असि0 प्रो0, राजनीति विज्ञान विभाग, सी0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

Correspondence
डॉ0 अरुण कुमार वर्मा
असि0 प्रो0, राजनीति विज्ञान विभाग, सी0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के चिन्तन में सामाजिक न्याय

डॉ0 अरुण कुमार वर्मा

सारांश
सामाजिक न्याय की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा हैं। हमारे लोकतांत्रिक समाज में इसका अर्थ और भी व्यापक हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार स्तम्भ हैं जिन पर सामाजिक न्याय विचार टिका हुआ है। डॉ0 अम्बेडकर की वह चेतावनी हमें याद करनी होगी जो उन्होंने संविधान सभा में दी थी कि देश का उत्थान तभी सम्भव है जब सारे देशवासी कन्धे से कन्धा मिलाकर बराबर चलें और आगे बढ़ें। भारत में पहले भी अपनी आजादी को अपने लोगों की धोखाधड़ी, देशद्रोह और आपसी फूट से खोया था और आज भी हमारा समाज एक ऐसे मार्ग पर निरन्तर गतिशील है जो हमें ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाता है। कि यदि हम परस्पर सहयोग बन्धुत्व एवं आपसी सम्मान को भुलाकर सामाजिक विखण्डन पर आगे बढ़ेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः उसी पराधीनता की जंजीरों में जकड़ जायेंगे। प्रस्तुत शोध–पत्र में डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक न्याय से सम्बन्धित विचारों का विश्लेषण किया गया है।

कूट शब्द: सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक समाज, स्वतंत्रता, समानता, अस्पृश्यता, संविधान, मानवीय गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक विषमता।

प्रस्तावना
सामाजिक न्याय का विचार एक गतिशील विचार है, जिसने प्राचीन सामाजिक और राजनीतिक चिन्तन से लेकर आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चिन्तन को निरन्तर प्रभावित किया है। समकालीन भारतीय समाज में यदि सामाजिक न्याय के चिन्तन की बात की जाये तो हम डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक चिन्तन को अनदेखा नहीं कर सकते। डॉ0 अम्बेडकर का जन्म महार नामक अछूत जाति में हुआ तथा उन्होंने अपने जीवन के आरम्भिक काल में अनेक विषम कठिनाइयों का सामना किया, जिससे उन्हें अनेक कटु सामाजिक अनुभव प्राप्त हुए। भारत में उनका जीवन सामाजिक सुधार के श्रेष्ठतम कार्य को समर्पित था, उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक रूढ़िवादिता, जातिप्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन का परम लक्ष्य समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करना था।[1]
सामाजिक न्याय की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा हैं। हमारे लोकतांत्रिक समाज में इसका अर्थ और भी व्यापक हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार स्तम्भ हैं जिन पर सामाजिक न्याय विचार टिका हुआ है। वास्तव में हमारे सिद्धान्तकारों के मध्य सामाजिक न्याय के अर्थ को लेकर मतैक्य का अभाव हो सकता है लेकिन सामाजिक न्याय का सार तत्व एक ही है और वह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में मानवीय गरिमा को स्वीकार किया जाये तथा मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाये, अर्थात किसी भी मनुष्य के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण जन्म स्थान तथा अर्थ के आधार पर भेदभाव न किया जाये।[2]
डॉ0 अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य जहां समाज के दलित व कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना था वहीं ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विकास करना था जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।[3] न्याय मानव समाज की एक आधारभूत आवश्यकता होती है, न्याय के अभाव में सुखी, शान्तिपूर्ण और समृद्धशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय अवधारणा औचित्यपूर्ण व्यक्ति की जगह औचित्यपूर्ण समाज की कल्पना करती है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्रता और समानता के साथ–साथ भ्रातत्व भी सामाजिक न्याय का आधारभूत तत्व होता है।[4] जब तक हमारे समाज में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ण, लिंग एवं व्यवसाय के आधार पर साामाजिक, आर्थिक भेदभाव रहेगा तब तक हम सामाजिक न्याय की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डॉ0 अम्बेडकर ने अपने सामाजिक चिन्तन के लिए तीन महापुरूषों के विचारों को प्रेरणास्रोत बनाया था। उनमें पहले कबीर, दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले और तीसरे महात्मा बुद्ध थे जिनके विचारों ने अम्बेडकर के चिन्तन को सर्वाधिक प्रभावित किया। इसी तरह जब

वे अमेरिका में थे तो वहां उन्हें दो बातों ने अत्याधिक प्रभावित किया, जिसमें पहला तो अमेरिकी सांविधान का चौदहवां संविधान संशोधन था, जिसके तहत वहां नीग्रो लोगों की दासता समाप्त की गयी थी तथा दूसरा बूकर टी0 वाशिंगटन के कार्य। जिन्होंने अमेरिका में व्यापक समाज सुधार किया था। [5]

भारत में डॉ0 अम्बेडकर ने सर्वप्रथम उन क्षेत्रों का पता लगाया जहां सामाजिक अन्याय चरम पर था, परिणामस्वरूप उन्होंने देखा कि समाज में महिला, शूद्र और अछूत ऐसे वर्ग हैं जिन पर धर्मशास्त्रों को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताएं थोप दी गई हैं जिसके कारण से वे समाज में लम्बे समय से भेदभाव और अन्याय सहते आ रहे हैं। इस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि हम लम्बे समय तक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान मूल्य के सिद्धान्त से इन्कार करेंगे तो इसका भावी परिणाम अच्छा नहीं होगा और इससे हमारा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जायेगा।[6]

शताब्दियों से हमारे समाज में शोषण के विभिन्न स्वरूप विद्यमान रहे हैं और आज भी नागरिक शोषण कराने के लिए बाध्य हैं क्योंकि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का चक्र निरन्तर जारी है और इस चक्र में वुद्धिजीवी, सामान्य जनता का, अमीर–गरीबों का, शासक–प्रजा का, उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का और पुरूष–स्त्रियों का निरन्तर शोषण कर रहे हैं।[7]

डॉ0 अम्बेडकर आधुनिक भारतीय इतिहास के वे युग पुरूष हैं जिन्होंने समाज से व्याप्त शोषण और अन्याय को निकटता से देखा तथा उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने निरन्तर संघर्ष किया, उनके विचार में एक मनुष्य को दूसरे से छोटा समझना, उसका शोषण करना, उस पर अपना अधिपत्य जमाना, मानवीय मूल्यों का अपमान और ईश्वर के प्रति पाप है, वे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक और सामाजिक न्याय के अथक सेनानी थे, वे सामाजिक न्याय के आदर्श को लोकतांत्रिक और वैधानिक ढंग से प्राप्त करना चाहते थे।[8] डॉ0 अम्बेडकर की विभिन्न रचनाएं जैसे कास्ट इन इण्डिया, एनिहिलेशन आफ कास्ट, हू वेयर शूद्राज, कस्टम इन इण्डिया, और दि अनटचेबल उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें इसके प्रमाण मिलते हैं।

डॉ0 अम्बेडकर सर्वप्रथम अस्पृश्य जातियों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए 1924 मे बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मार्च 1930 में अम्बेडकर ने नासिक के कालाराम मन्दिर में अछूतों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया और भारत में दलितों के उद्धारक तथा उनके एक मात्र प्रतिनधि बनकर उभरे। डॉ0 अम्बेडकर की मान्यता थी कि अस्पृश्यों को सामाजिक न्याय प्रदान के लिए शिक्षा एक प्रमुख मार्ग है। अतएव 1928 में उन्होंने दलित विद्यार्थियों के लिए दो छात्रावास प्रारम्भ किए और उन्होंने ''डिप्रेस्ड क्लासेस एजूकेशन सोसाइटी'' की स्थापना की। वर्ष 1932 में वे जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ। डॉ0 अम्बेडकर के चिन्तन का केन्द्रीय विषय भारतीय समाज से जाति प्रथा का उन्मूलन करना था क्योंकि वे कहते थे कि जाति प्रथा से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है और जाति व्यवस्था ही समाज मे सामाजिक और आर्थिक शोषण तथा अन्याय को जन्म देती हैं। उनके शब्दों में मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातत्व पर आधारित हो जिसमें गतिशीलता होनी चाहिए, उन्होने कहा कि जब तक भारत के लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा समाज कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। जाति व्यवस्था की नींव पर हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जातिप्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।[9]

संविधान सभा में डॉ0 अम्बेडकर ने साफ शब्दों में घोषणा की थी, कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभाषी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से जहां सभी नागरिक समान होंगे। अर्थात राजनीति में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धान्त प्रचलित होगा। परन्तु हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में अब भी समान मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकार करने से इन्कार कर रहे होंगे जिसके परिणामस्वरूप देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता का जन्म होगा जिससे अन्ततः हमारी एकता, अखण्डता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय खतरे में पड़ जायेगा।[10]

डॉ0 अम्बेडकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल दिखावटी लोकतंत्र सीमित होने के पक्षधर नहीं थे बल्कि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वतंत्रता समानता, भ्रातत्व के साथ–साथ सामाजिक पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देते थे। जिसमें सिद्धान्त और व्यवहार में कोई अन्तर न रहे।[11]

डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय समाज में नारी की दयनीय और दुरावस्था को भी पहचाना। नारी मानव समाज की महत्वपूर्ण घटक होती है। वह दोहरी भूमिका का भी निर्वाहन् करती है। परन्तु प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक युग तक भारत में स्त्री जाति की जो दयनीय, पाशविक एवं नारकीय स्थिति रही है, उसका श्रेय मनु और कवि तुलसी को भी जाता है। मनु ने स्त्रियों को शिक्षा व सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया, महिला समाज की समानता और स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया। आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत जो प्रावधान किये गये हैं वे भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण थे।[12] इसके अलावा विभिन्न शास्त्रकारों द्वारा महिलाओं को हीन बताकर उसे आजीवन पुरूष के ऊपर अवलम्बित और अधीन करना भी उनके प्रति अन्याय का सूचक है।

डॉ0 अम्बेडकर की दृष्टि से शास्त्रों द्वारा शूद्रों को सस्कारविहीन कर उन्हें जन्म के आधार पर हीन व्यवसाय से जोड़ना तथा शिक्षा, सम्पत्ति, शस्त्र एवं शास्त्र के अधिकारों से वंचित करना उनके साथ घोर अन्याय है। उनका मानना था किसी समाज के उन्नत होने का मापदण्ड उस समाज के पुरूष न होकर स्त्रियाँ होती हैं। बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने एक बार कहा था–''मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।''[13]

बाबा साहेब चाहते थे कि महिलाएँ स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो, वे किसी की आश्रित न रहे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रयास किये, तथा समय–समय पर कई आन्दोलन भी किये। उन्होंने मन में ठान ली कि राष्ट्र के एक गुट को अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त करना है, युगों–युगों से स्त्रियों व शूद्रों पर लादी गई दासताओं की श्रृंखलाओं को तोड़ना है।[14] इसके लिए उन्होंने स्त्रियों और शूदों में जागृति उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बम्बई की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा– ''नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी को जागृत किये बिना राष्ट्र का विकास का विकास सम्भव नहीं है।

अतः डॉ भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों के जीवन में कई अमूल परिवर्तन करने के पक्षधर थे। महिलाओं में चेतना लाने उनमें जागृति उत्पन्न करने एवं प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए समय–समय पर उन्होंने अनेक आन्दोलन किये। उन्होंने स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को अनमोल संविधान के द्वारा बिना भेदभाव किए स्त्री–पुरूष को समान रूप से मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता व समानता के अधिकार तो प्रदान किए ही साथ ही स्त्रियों के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में स्थिति को सुधारने के अनेकों कानून एवं अधिनियम भी पारित कराये। डॉ0 अम्बेडकर ने दलित व कमजोर वर्गों के हितो के लिए केवल संघर्ष ही नहीं किया अपितु सार्वजनिक पदों पर काम करने का जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंनें सभी कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना का कार्य किया।

इतना ही नहीं उन्होंने उनके उत्कर्ष के लिए यथासम्भव रचनात्मक कार्य भी किए। उन्होंने संविधान के माध्यम से स्त्री, पुरूष के बीच भेदभाव समाप्त करके नारी को पुरूष के सामान अधिकार प्रदान किये। इसके अलावा उन्होंने केवल अस्पृश्यता को अन्त ही नहीं किया बल्कि सार्वजनिक मन्दिरों, स्थलों को सबके उपयोग के लिए सुलभ कराया। सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले गये, जन्म एवं लिंग व धर्म के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से सभी को समानता का अधिकार दिलवाया। डॉ0 अम्बेडकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान हिन्दू कोड बिल का निर्माण है। वैधानिक दृष्टि से न्याय के मानदण्ड का आधार संहिता व कानून है।''[15]

सामाजिक संदर्भ में न्याय से तात्पर्य सामाजिक न्याय से है इसीलिए उन्होंने सामाजिक समानता पर जोर दिया और जाति के बजाये व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना। व्यक्ति के महत्व से तात्पर्य उसकी योग्यता, गुण व कर्म को महत्व देने से है। डॉ0 अम्बेडकर से स्वतन्त्रता एवं समानता को समाज में वास्तविक रूप से उतारने के लिए आपसी भाई चारे पर बल दिया। आज फिर एक बार डॉ0 अम्बेडकर की वह चेतावनी हमें याद करनी होगी जो उन्होंने संविधान सभा में दी थी कि देश का उत्थान तभी सम्भव है तब सारे देशवासी कन्धे से कन्धा मिलाकर बराबर चले और आगे बढ़े। भारत में पहले भी अपनी आजादी को अपने लोगों की धोखाधड़ी, देशद्रोह और आपसी फूट से खोया था और आज भी हमारा समाज एक ऐसे मार्ग पर निरन्तर गतिशील है जो हमें ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाता है। कि यदि हम परस्पर सहयोग बन्धुत्व एवं आपसी सम्मान को भुलाकर सामाजिक विखण्डन पर आगे बढ़ेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः उसी पराधीनता की जंजीरों में जकड़ जायेंगे। अतः हमें डॉ0 अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान में सुझाए गए उस मार्ग को अपनाना होगा, जिसमें परस्पर भाईचारा, बन्धुत्व और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना निहित है। जहां पर सैधान्तिक रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास किया गया है और हमें व्यवहारिकता प्रदान करना होगा। तभी डॉ0 अम्बेडकर द्वारा बताये गये सामाजिक न्याय पर आधरित समाज की स्थापना सम्भव होगी।[16]

इस प्रकार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दलितों को राजनैतिक रूप से जागरूक करने का कार्य डॉ0 अम्बेडकर ने किया था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ही सामाजिक न्याय की स्थापना की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम राजनैतिक सत्ता ही है, स्वतन्त्रता के बाद का अनुभव हमें यह बताता है कि दलित समाज की स्थिति सुधारने के अभियान में राजनीतिक सत्ता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दलितों को उन्हों अपने अधिकार को प्रेरित करने का काम भी डॉ0 अम्बेडकर ने ही किया, जिसके लिए उनका अनेकों भारतीय नेताओं से मतभेद भी हुआ। लेकिन अन्ततः उनके विचारों की विजय हुई।

शोध–पत्र का निष्कर्ष यह है कि हम 26 जनवरी 1950 के बाद से सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हमने 68 वर्ष का सफर तय किया है और हमें अब यह महसूस होता है कि समय की इस गतिशीलता के साथ–साथ सामाजिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य और भी दूर होता जा रहा है जिसकी स्थापना का प्रयास डॉ0 अम्बेडकर ने किया था। क्योंकि आज हमारी राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था नैतिकता और मूल्यों के मार्ग से भटक कर केवल शक्ति और सत्ता के चारों और चक्कर लगा रही है। डॉ0 अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना एक सच्चे लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता के ऐसे दर्शन पर आधारित है जिसमें बंधुत्व की भावना हो और सभी का सम्मान हो अतः हमें समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनी सामंती और अभिजनवादी सोच की बदलना होगा और इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि वास्तव में सामाजिक न्याय की स्थापना के मार्ग में कौन–कौन सी बाधाएं हैं, और उन्हें हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। जिससे सामाजिक न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सके।

संदर्भ

1. सिंह, रामगोपाल–डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली', 2006.
2. पूरन मल 'अस्पृृश्यता और दलित चेतना : पोइण्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007.
3. कीर धनन्जय, – डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित, दिल्ली 1996.
4. गुप्ता, विश्वप्रकाश–भीमराव अम्बेडकर : व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008.
5. गुप्ता एस0के0, आधुनिक भारत, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2007.
6. भाटिया के0एल0 – सोशल जस्टिस ऑफ अम्बेडकर, नेशनल नई दिल्ली.
7. सिंह, रामगोपाल, डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन, जोधपरु, 1999.
8. सहारे, एम.एल.–डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, हिज लाइफ एण्ड वर्क, नई दिल्ली, 1988.
9. मून बसंत–डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2004.
10. भारती, राम विलास–बीसवीं सदी में दलित समाज, अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010.
11. अम्बेडकर, वी.आर. – 'अस्पृश्यता' मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2002
12. शर्मा, सीताराम–19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन, हिन्दी ग्रन्थावली, भोपाल, 1997.
13. शशि श्याम सिंह–बाबा साहेब अम्बेडकर वाड्.मय खण्ड–2, नई दिल्ली, 1998.
14. जाटव, डी0आर0–राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका, प्रिज्म पब्लिकेशन, जयपुर, 1996.
15. भारती, राम विलास–बीसवीं सदी में दलित समाज, अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010.
16. भारती, राम विलास–बीसवीं सदी में दलित समाज, अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010.